MOST-URGENT

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक 27(5) ग्राविवि/ग्रुप–5/प्र.म.आ.यो–ग्रा./लक्ष्य–2/2016–17 जयपुर, दिनांकः 25 जुलाई, 2016

समस्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद (ग्राविप्र), राजस्थान।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 के लक्ष्य आवंटन बाबत्।
प्रसंग :– सम संख्यक पत्र दिनांक **13.07.2016**

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से योजनान्तर्गत प्राप्त लक्ष्यों के अनुसार प्रासगिक पत्र द्वारा वर्ष 2016–17 हेतु जिलेवार, वर्गवार लक्ष्य आंवटित किये गये है। इस कम में जिला परिषद द्वारा जिले को आवंटित लक्ष्यों को SECC-2011 के आधार पर ग्राम पंचायतवार तैयार अन्तिम वरीयता सूची के आधार पर पंचायत समितिवार व वर्गवार आवंटन किया जावे। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की PRC बैठक दि. 15.07.2016 में योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों को लक्ष्य आवंटन हेतु निम्नानुसार निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे :–

1 ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की वार्षिक वरीयता सूचि का वृहद रूप से प्रिन्ट और इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं दीवार लेखन के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जावें। इस हेतु प्रशासनिक व्यय मद से राशि व्यय की जावे।
2 सांसद आदर्श ग्राम योजना, Rurban कलस्टर एवं राजीविका (NRLM) के अन्तर्गत गठित महिला स्वयं सहायता समूह को प्राथमिकता दी जावें अर्थात् जिन ग्राम पंचायतों में उक्त योजाएं संचालित है को प्राथमिकता देते हुए समस्त ग्राम पंचायतों को कच्चे आवास/आवासहीनता से मुक्त कर सभी को पक्के आवास उपलब्ध करवा दिये जावें।
3 स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अन्तर्गत ODF घोषित ग्राम पंचायतों को भी उपरोक्तानुसार लक्ष्य आवंटन में प्राथमिकता दी जावें।
4 उक्त दोनों के अतिरिक्त आवासहीन परिवार, झुग्गी झोपडियों/तिरपाल के नीचे रहने वाले परिवार, सिर पर मैला ढोने वाले परिवार, पीवीटीजी परिवार एवं विमुक्त बंधुआ मजदूरों की गणना कर लक्ष्य आवंटन में प्राथमिकता दी जावें।
5 इन्दिरा आवास योजना के दिशा–निर्देशों/प्रावधानों की तरह ही प्रत्येक वर्ग में 3 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्तियों को लक्ष्य आवंटन में प्राथमिकता दी जावें।
6 आवासहीन परिवार जिनके पास आवास निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है को भी आवासीय भू–खण्ड उपलब्ध नहीं होने के उपरान्त भी पात्र लाभार्थियों की आवास स्वीकृति आवश्यक रूप से जारी की जावें। साथ ही नियमानुसार आवासीय भू–खण्ड उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावें। (अर्थात् वरीयता सूची अनुसार ऐसे प्रथम प्राथमिकता वाले भूमिहीन परिवारों को वंचित कर अन्य को आवास आवंटित नहीं किया जावें।)

उक्तानुसार परिवारों को प्राथमिकता से लक्ष्य आवंटन के उपरान्त जिले को आवंटित लक्ष्यों में से शेष लक्ष्यों को पंचायत समिति/ग्राम पंचायतवार उपलब्ध आवासहीन परिवारों को आवंटन उपरान्त एक कमरा कच्चा आवास परिवारों हेतु लक्ष्य आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

25/7/16

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव ग्रावि एवं पंरावि।
3. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
4. निजी सचिव, शासन सचिव ग्रा.वि एवं स्टेट मिशन डायेरक्टर, राजीविका, जयपुर।
5. समस्त परियोजना निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग।
6. समस्त जिला कलक्टर।
7. PD (M & E) को, Website Upload करने हेतु

अधीक्षण अभियन्ता(ग्रावि)